International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2022; 2(1): 104-106
Received: 05-11-2021
Accepted: 09-12-2021

Sarika Kumari
Research Scholor (Education)
Radha Govind University,
Ramgarh, Jharkhand, India

Dr. Ashok Kumar
Assistant Professor,
Department of Education,
Radha Govind University
Ramgarh, Jharkhand, India

Corresponding Author:
Sarika Kumari
Research Scholor (Education)
Radha Govind University,
Ramgarh, Jharkhand, India

प्राथमिक शिक्षा का विकास

Sarika Kumari and Dr. Ashok Kumar

DOI: https://doi.org/10.22271/27891607.2022.v2.i1b.43

सारांश
प्राथमिक शिक्षा विकासशील देशों के विकास में अहम भूमिका निभाती है। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना मानव जीवन के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बाँटा गया है। प्राथमिक शिक्षा बालक की भौतिक, मानसिक, सामाजिक भावनात्मक, नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। यह शिक्षा बालकों में नैतिक गुणों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इसके साथ–साथ देशप्रेम की भावना भी जागृत करती हैं। प्रथमिकी शिक्षा आगे की शिक्षा की नींव होती हैं इसलिए इसे मुख्य शिक्षा भी कहते हैं।
प्रारंभ में भी दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत रखा जाता है। अतः प्राथमिक स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करते है उसे प्रारंभिक या पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। आमतौर पर 5 से 11 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं, वे प्राथमिक शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते हैं, जहाँ वे ऐसे विषयों या कौशलों को सीखते हैं, जो उनकी स्कूली शिक्षा की बाकी हिस्सों की नींव रहती है। प्राथमिक शिक्षण सस्थान बच्चों को विभिन्न धर्मों, नस्लों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ–साथ विकलांग लोगों से मिलने के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास बच्चें को सहिष्णुता एवं सम्मान के बारे में सिखाने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होता है।
प्राथमिक शिक्षा स्म्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। यह शिक्षा बालक की मूल प्रवृतियों का परिमार्जन कर उसे आदर्श, संस्कारवान तथा संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। आधुनिक प्रगतिशील युग में प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति के स्तर पर नहीं पहुँच सकता प्राथमिक शिक्षा का पतन राष्ट्रीय पतन का संकेत है।
इस संदर्भ में स्वामी विवेकानन्द का कथन उल्लेखनीय है– ''मेरे विचार में जन साधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है तथा हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जबतक कि भारत में जन साधारण को एक बार फिर भली प्रकार से शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा''

कूटशब्द : विकास, नैतिक गुण, औपचारिक सहिष्णुता, व्यक्तित्व, प्राथमिक शिक्षा प्रवृतियाँ

प्रस्तावनाः
शिक्षा हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिसमें हमारे अन्दर मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त होता है। शिक्षा के द्वारा मानसिक अवबोध की क्षमता विकसित होती है। वास्तव में, शिक्षा एक प्रकाश पुंज है, जिससे हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। फलतः हम एक सार्थक जीवन की परिकल्पना करते हैं।
वैदिक कालीन शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण से समय की सीमा निश्चित नहीं थी। वैदिक काल में शिक्षा आयु के साथ–साथ समानांतर चलती थी। वैदिक कालीन शिक्षा जीवनपर्यन्त चलती रहती थी। मनुष्य जीवनपर्यन्त विद्यार्थी का जीवन जीता था। वैदिक कालीन शिक्षा जीवन, राजनीतिक, सामाजिक, संगीत आदि पर आधारित थी। वैदिक काल में शिक्षा का महत्व ज्ञान की प्राप्ति था वह ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा में भेद कर सके। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के बाद मोक्ष के महत्व को समझ सकता था। ''सा विद्या या विमुक्तये''
वैदिक काल में जिस प्रकार शिक्षा जीवन और दर्शन से जुड़ी थी, उसे देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए डॉ0 ए0 एस0 अलतेकर ने कहा है, ''वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक करती है।'' वैदिक कालीन शिक्षा अपने प्रारंभिक काल में गुरूकुल में प्राप्त की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता था, उसके उपरांत गुरू को विद्यार्थी समर्पित किया जाता था। गुरू विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए पुरी निष्ठा से काम करते थे।
वैदिक काल में शिक्षा का जिस प्रकार व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता था वैसे हीं संकुचित अर्थ में भी प्रयोग किया जाता था। संकुचित शिक्षा के संदर्भ में छात्र गुरूकुल में गुरू के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करता था और अपने गुरू से शिक्षा प्राप्त करता था।

गुरू के सनिध्य से प्राप्त शिक्षा की अपनी सीमाएं थी, जिससे छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान का विकास नहीं हो पाता था। साथ हीं शिक्षा का अनुप्रयोग भी छात्र हीं कर पाते थे। वास्तव में गुरूकुल में रहकर छात्र केवल शिक्षा के उच्चत्तर स्तर पर हीं विमर्श कर पाते थे। फलतः शिक्षा के मौलिक आयाम छुट जाते थे। जो उनके जीवकोपार्जन में बाधा पैदा करती थी।

समग्रतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अतर्गत शिक्षा का अर्थ उस प्रक्रिया या अंत त्योति तथा शक्ति से है, जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित विकास करती है। रेमाण्ट के शब्दों में "शिक्षा का संकुचित अर्थ उन विशेष प्रभावों से लिया जाता है, जिसे अधिक आयु के लोग जानबुझ कर एवं नियोजित रूप में अपने से छोटे पर प्रभाव डालते हैं। भले हीं ये प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले जाये।" शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए मेकेन्जी ने कहा "शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है।" अतः संकुचित संकुचित अर्थ में शिक्षा सप्रयोजन किया जाने वाला वह प्रयास है, जो किसी विशेष प्रभाव डालने हेतु किया जाता है। सामान्यतः यह विशिष्ट वातावरण में प्रदान की जाती है पर इसे हम पूर्ण शिक्षा नहीं कह सकते। ऐसी शिक्षा किसी विशिष्ट प्रयोजन से दी जाती है। वास्तव में शिक्षा का संकुचित अर्थ शिक्षा की वास्तविक व्याख्या नहीं है, शिक्षा अपनी व्यापकता में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस संदर्भ में लाज की परिभाषा उपर्युक्त जान पड़ती है:–

> "In wider sense all experience is said to be educative ……………….. In wider education is life and life is education whatever broadens our horizon deepens insight, refines owr reaction and stimulates thoughts and feeling educates us"- Loge

वैदिक शिक्षा के उपरांत बौद्धकालीन शिक्षा में महात्माबुद्ध के विचारों तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम 'पाली' भाषा थी। छात्रों की शिक्षा आठ वर्ष में प्रारंभ हो जाती थी, जिसे 'पबज्जा' नामक संस्कार से शुरू किया जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे अपना घर छोड़ देते थे तथा एक भिक्षु के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में एक मठ में रहते थे। इसे अब 'श्रमण' कहा जाता था। शिक्षा पूर्ण के बाद उसे 'भिझु' कहा जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य विषय तीन पताका थी, जो कि सूत विनय और अभिधम्म थी। बौद्धकाल में शिक्षा मठों या विहार में प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद हिन्दुओं एवं बौद्धों के सभी उच्च शिक्षा के केन्द्र नष्ट कर दिया गया। नालन्दा को 1197 ई0 में जला दिया गया और इसमें पढ़ रहे भिक्षुओं को मार दिया गया। मंदिरों, पुस्तकालों को तबाह कर दिया।

मध्यकालीन शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा थी। इस काल में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती थी, जो मस्जिदों से जुड़े होते थे। 'मकतब' का संचालन शिक्षित मौलवी करते थे। मकतब के पश्चात् बच्चों को मदरसों में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी।

मुस्लिम शासन के अंत के बाद तथा विदेशी व्यापारियों एवं ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। 1813 ई0 में आंग्लवादी विवाद, 1835 में मैकाले को अधोमुखी छनने का सिद्धांत, 1853 का 'वुड डिस्पैच' एवं 1882 में लार्ड रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जैसे कई पड़ाव भारतीय शिक्षा प्रणाली ने किए। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप से बहुत कुछ भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे महात्मा गाँधी का शिक्षा के संदर्भ में 'नई तालीम' की अवधारणा शिक्षा को मौलिक अधिकार की परिधि में लाना एक बड़ा कदम कहा जा सकता है:– महात्मा गांधी ने 'नई तालीम' के माध्यम से छात्रों को 'आत्म निर्भर' बनने पर जोर दिया। इस शिक्षा योजना का केन्द्र बिन्दु किसी हस्तशिल्प या हस्तकारी से संबंधित था ताकि छात्रों की रोजी–रोटी से संबंधित समस्या का समाधान हो सके। देश का संविधान 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारतीय संविधान में देश में शैक्षिक विकास के लिए कुछ दिशा–निर्देशों तथा सुझावों को दर्शाया गया है, जिन्हें संवैधानिक प्रावधान कहा जाता है। निम्न प्रावधान हैं:–

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
2. अल्पसंख्यकों की शिक्षा
3. कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा
4. धर्मनिरपेक्ष शिक्षा
5. शिक्षण संस्थानों में सभी को समान अवसर
6. मातृभाषा में शिक्षण

भारतीय शिक्षा प्रणाली संभवतः विश्व भर में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जो प्रारंभिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक अनेक स्तरों पर कई मिलियन विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करती हैं, जो दबाव, चिंता और भय से मुक्त हो। 1990 के दशक के पश्चात कई सकारात्मक कदम उठाए गए और बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को स्वीकारने के साथ प्रारंभिक शिक्षा की मांग बढ़ गई है। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के प्रावधान के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को दिया जाना है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जिसमें सार्वभौमिक प्रतिभागिता का मंच प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत सूक्ष्म नियोजन जो पूर्णकालिक विद्यालयों में नहीं जा सकत, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, विद्यालय कार्य–परिचालन बोर्ड के पुर्नसुधार द्वारा संशांधित सुविधाएं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबी) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम (डी0पी0ई0पी0), सर्व शिक्षा अभियन (एस0एस0ए0) आदि प्रमुख है। ये कुछ नाम हैं, जो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ओर किए जा रहे प्रयासों को एक नई गति दी गई, जब बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ;त्ज्म्द्ध लागू हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) और सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर प्रमुख ध्यान दिया गया।

सर्वशिक्षा अभियान

जैसा कि इस अभियान का नाम है, यह अभियान प्राथमिक स्तर पर 'सभी को शिक्षा' देने के लिए चलाया गया। इस अभियान का आरम्भ 2001 में किया गया। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का शैक्षिक अभियान है। इस कार्यक्रम का उद्येश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमिक को प्राप्त करना है।

सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

1. सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम।
2. पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा के लिए मांग का प्रत्युत्तर।
3. बुनियादी शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
4. देश में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति।
5. केन्द्र राज्य और स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता।
6. राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की स्वयं की दृष्टि विकसित करने का अवसर।

7. प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों,

ग्रामीण और शहरी–स्लम स्तरीय शैक्षिक समितियाँ, अभिभावक–शिक्षक संघ (पीटीए), मातृ–शिक्षक संघ (एम0टी0ए0), जन–जातीय परिषद (टी0ए0सी0) और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाओं की प्रभावी संलग्नता के लिए एक प्रयास।

यूईई को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए उपाएः–

यह प्रारंभिक शिक्षा का ऐसा उपक्रम है, जो देश में गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमीकरण की गारंटी देता है। इसे प्राप्त करने के निम्न उपाय बताएं गए हैः–

1. सामुदायिक सहभागिता के लिए फ्रेमवक तैयार करना।
2. विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ करना। जैसेः– अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली उनके लिए जो परंपरागत, पूर्ण कालिक विद्यालयों में नहीं जा पाते।
3. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार हेतु न्यूनतम अधिगम स्तरों को लागू करना।
4. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुधार द्वारा विद्यालय सुविधाओं में सुधार लाना।
5. बाल्यावस्था–पूर्व देखभाल और शिक्षा साक्षरता और यूईई के कार्यक्रमों के बीच संपर्क स्थापित करना।
6. दुर्गम क्षेत्रों, विशेष कर बालिकाओं, वंचित समूहों और विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए, को संबोधित करना।
7. परिवर्तित रणनीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में शिक्षण–प्रशिक्षण की पुनः संरचना करना।
8. बुनियादी शिक्षा के लिए बाहृय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
9. सर्वशिक्षा अभियान लागू करना।

स्मग्र शिक्षा अभियान भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा अभियान विविध हस्तक्षेपों के अवसर प्रदान करता है, जिसमें निम्न शामिल हैः–

1. नए विद्यालय बनाना और शुरू करना,
2. अतिरिक्त शिक्षकों, नियमित शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण।
3. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों की व्यवस्था।
4. यूनीफार्मस और अधिगम–प्रतिफलों में सुधार हेतु मुफ्त सहायता को सुनिश्चित करना।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक न्यायपूर्ण कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जो सभी 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्रदान करता है। यह बच्चों को न्याय संगत और बिना भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सार्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से यह बच्चों को ऐसी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जो भय तनाव और चिन्ता से मुक्त हो।

हाल हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इस घोषणा के साथ हीं मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्त्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्येश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ–साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्त्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर पीडीपी के 60ः हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। यशपाल समिति 1993 की शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट के आलोक में राष्ट्रीय पाठचयर्या की रूपरेखा, 2000 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। इस हेतु प्रो0 यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 21 आधार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इस दस्तावेज के माध्यम से पाठ्यचर्या निर्माण के पाँच निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया।

- ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।
- यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो।
- पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाए न कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित रह जाए।
- परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
- एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य–व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों।

निष्कर्षः–

शिक्षा किसी भी राष्ट्र नींव है। उसमें भी प्राथमिक शिक्षा मनुष्य के ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। प्राथमिक शिक्षा हमें भाषा परिवेश लोक–संस्कृति व्यवहार आदि का भरपूर ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा का प्रत्येक रूप अपने आप में स्वागत योग्य है। शिक्षा का अनौपचारिक रूप भी उतना हीं महत्वपूर्ण है, जितना की औपचारिक। औपचारिक शिक्षा हमें रोजगारन्मुखी ज्ञान प्रदान करती है। अतः शिक्षा हमारे जीवना का अनिवार्य तत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. भटनागर, सुरेश एवं संजय कुमार भारत में शिक्षा का विकास पृष्ठ 101
2. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व।
3. लाल रमण बिहारी एवं कृष्णाकान्त शर्मा (2011) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, आर0लाल0बुक डिपो, मेरठ।
4. भटनागर, सुरेश (2002) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, गणपति प्रिन्टर्स, मेरठ।
5. https://wwwhindivibhaga.com